न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या : 19/2016 दायर दिनांक – 5.5.2016

फैसल दिनांक – 13.11.17

1– श्री देवजी पिता वाला भील निवासी सागवाडा

–वादी –

बनाम

1– श्री हकरू पिता वाला भील निवासी सागवाडा

2– भूमिधारी राजय सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

–प्रतिवादीगण–

वकील वादी – श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादी – श्री आजाद शाह

वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188,209 रा0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते की भूमि मौजा सागवाडा के खाता संख्या 1407/1284 कुल खेत 15 कुल रकबा 8बीघा 6 बिस्वा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–'

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा
1–	3309	15बिस्वा
2–	3310	09बिस्वा
3–	3312	03बिस्वा
4–	3313	09बिस्वा
5–	3314	08बिस्वा
6–	3327	1बिघा6 बिस्वा
7–	3328	08बिस्वा
8–	3329	08बिस्वा
9–	3334	04बिस्वा
10–	3335	05बिस्वा
11–	3336	05बिस्वा
12–	3347	05बिस्वा
13–	3348	07बिस्वा
14–	3371	1बिघा10बिस्वा
15–	3372	1बिघा 04बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

उक्त खाते में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1की सगी बहनों कला,बदी,कचरी का नाम भी है लेकिन बहनों द्धारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 13.12.2010को पंजिकृत हक त्याग का दस्तावेज निष्पादित कर अपने हिस्से का त्याग कर देने स`अव उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आधा आधा हिस्सा है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त आराजीयात का बंटवारा हो चुका है एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 वादी को वादी के हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने में रूकावट कर रहा है जिससे वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खाता शिरकती नही चला सकता है । वादी द्धारा अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया तो उसने बंटवारा से इन्कार कर दिया । वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य भी नहीं कर सकता है ।

अतः वादी ने मौजा सागवाडा के खाता संख्या 1407/1284 के कुल खेत 15 कुल रकबा 8 बिघा 6 बिस्वा जिसमें वादी का आधा हिस्सा है उसी हिस्से अनुसार बंटवारा करा खाता प्रथक दर्ज कराने एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादी के हिस्से की भूमि पर वादी को कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी द्धारा वाद पत्र के साथ वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए खाता नकल एवं हकत्याग के दस्तावेंजि की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी द्धारा अपने जवाब में वादग्रस्त खेतों का वादी एवं प्रतिवादी के पिता के जीवित रहते खेतों का मौके पर बंटवारा हो चुका है तदनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार होकर कमाना बताते हुए पूर्व में हुए बंटवारा के अनुसार खाते का बंटवारा किया जाने का उल्लेख किया गया है ।

जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :

1– आया वादग्रस्त आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा हो चुका है एवं मौके पर बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं? (वादी)

2– आया वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी की सहखातेदारी होने से वादी बिना बंटवारा कराये स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकता है ?(प्रतिवादी)

3– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में वादी स्वयं देवजी के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया । वादी ने अपने बयान शपथ पत्र में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र की सम्पूर्ण इबारत सही होना बताया है तथा प्रस्तुत दस्तावेज खाते की नकल प्रदर्श–1, हक त्याग की नकल प्रदर्श– 2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रदर्शित कराये गये । वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से साक्ष्य वादी प्रतिवादी बन्द की जाकर पक्षकारान वकील की बहस सुनी गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पक्षकारान सगे भाई होना ,बहनों के द्धारा दोनो भाईयों के हक में हक त्याग कर देना तथा वादग्रस्त आराजीयात का पिता के जीवीत रहते बंटवारा हो जाना एवं बंटवारा अनुसार ही मोके पर काबिज हो काश्त करना बताते हुए वादी का प्रथक खाता दर्ज कराने का निवेदन किया ।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी ने भी अपनी बहस में वादी के उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए पिताजी के जीवित रहते हुए जो बंटवारा किया गया है तदनुसार ही बंटवारा किया जाना बताते हुए खाता प्रथक किये जाने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया,तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नंबर1– आया वादग्रस्त आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा हो चुका है एवं मौके पर बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं?
(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । मोजा सागवाडा की जमाबन्दी प्रदर्श–1 खाता संख्या 1407/1284 किता 15 कुल रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा के खातेदार के स्थान पर हकरू,देवजी ,कला,बदी,कचरी पिता वाला दर्ज रेकार्ड है । प्रदर्श–2 दस्तावेज हकत्याग पत्र है जिसके तहत सहखातेदार कला,बदी,कचरी के द्धारा उक्त खाते की भूमि में अपना अपना हिस्सा दोनो भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया गया है । वादी ने अपने वयान में पिता के जीवीत रहते हुए उक्त खाते की भूमि का बंटवारा दोनो भाईयों के मध्य कर दिया गया था तदनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होना बताया है । प्रतिवादी ने भी अपने जवाब मे उक्त तथ्य स्वीकार किया है । जिससे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा हो जाना एवं मौके पर बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त किया जाना प्रमाणित होता है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2– आया वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी की सहखातेदारी होने से वादी बिना बंटवारा कराये स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकता है ?(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। वादी ने अपने वाद पत्र एवं बयान में वादग्रस्त भूमि को पिताजी के जिवित रहते हुए बंटवारा हो जाना तथा तदनुसार मौके पर काबिज हो काश्त करना बताया है । प्रतिवादी ने भी अपने जवाब में इस तथ्य की पुष्टि की है ।वादी एवं प्रतिवादी दोनो के अनुसार बंटवारा पिताजी के जीवित रहते हुए हो जाना तथा तदनुसार ही अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होना बताया है जिससे वादी अपने

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

हिस्से की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन से तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है कि तहसीलदार सागवाडा मोजा सागवाडा के खाता संख्या 1407/1284 किता 15 कुल रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा का वादी एंव प्रतिवादी के मध्य आधा आधा हिस्से का बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के तीन प्रति में प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.17 को सरे ईजलास सूनाया गया । प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे । पत्रावली बईन्तजार बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 4.12.17 को पेश हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner